vè;k;&4
fu"d"k vkSj flQkfj'ksa

4-1- fu"d"k

प्रमुख बंदरगाहों में भूमि प्रबंधन के संबंध में एक समान पद्धतियों और प्रक्रियाओं को शुरू करने के उद्देश्य के साथ मंत्रालय द्वारा 1995 में दिशा–निर्देश जारी किए गए थे जो कि बाद में 2004, 2010 और 2014 में संशोधित किए गए थे। नीति दिर्शानिर्देशों और सभी बदंरगाहों पर उनकी एक समान प्रयोज्यता में स्पष्टता को जांचने के लिए की गई निष्पादन लेखापरीक्षा ने दर्शाया कि लगातार जारी की गई नीतियां सम्पूर्ण नहीं थी और मंत्रालय तक सभी स्तरों पर निगरानी प्रणाली के सशक्तीकरण के अलावा सुधार और युक्तिकरण की गुंजाइश थी तथा उन कुछ मुद्दों को सम्मिलित करने में विफल रहीं जोकि पिछली नीतियों में संबोधित की गई थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि नीति दिशा–निर्देशों और भूमि प्रबंधन से सम्बधित विशिष्ट शब्दावली व वाक्याशों मे अस्पष्टता की घटनाएं देखी गई और बंदरगाहों को प्रभावी मार्गदर्शन और दिशा प्रदान करने के लिए भूमि प्रबंधन संबंधी वाक्यों को और स्पष्टता से परिभाषित करने और बंदरगाहों द्वारा एक समान रूप से लागू किया जाना सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसके परिणामस्वरूप बंदरगाहों ने एकसमान मुद्दों को विभिन्न तौर से लिया। नीति दिशा–निर्देशों (1995, 2004 और 2010) में कस्टम बांड क्षेत्र में स्थायी ढांचे के निर्माण 'भूमि की अंतिम उपयोगिता' परिभाषित करना रही 30 वर्षो के बाद पट्टे के विस्तारिकरण आदि के संबंधित मामलों में स्पष्टता मे कमी की घटनाएं देखी गई। कस्टम बांड क्षेत्र में स्थायी ढांचों के वर्तमान मामलों को देखने के लिए 2014 नीति में समर्थित कार्यप्रणाली कार्यान्वयन के लिए शायद आसान न हो और इसके परिणामस्वरूप विवाद और मुकदमें भी हो सकते हैं। इसी प्रकार, ऐसी घटनाएं देखी गई जहां लाइसेंस जारी करने के संबंध में बदंरगाह नीति दिशा–निर्देशों से विचलित हो गए थे। हालांकि 2014 के नीति दिशा–निर्देशों सहित समय–समय पर नीति दिशा–निर्देश संशोधित किए गए थे, जिन्होंने बंदरगाहों को उनके अपने विवेक पर विविध दिशा–निर्देशों से प्रावधान लागू करने की अनुमति दी थी जोकि एक अच्छी पद्धति नहीं थी।

भूमि प्रबंधन के मुख्य क्षेत्रों मे बंदरगाहों द्वारा गैर–अनुपालन की घटनाएं थी। भूमि उपयोगिता योजना अद्यतन अथवा संशोधित नहीं थी और राज्य राजस्व प्राधिकरणों के स्वत्व विलेखो जैसे संबंधित अभिलेखों के साथ भूस्वामित्व का सामंजस्य नहीं था । बंदरगाहों ने अतिक्रमण को रोकने के लिए सामयिक और प्रभावी कदम नहीं उठाए और भूमि का आवंटन भूमि नीति दिशा–निर्देशों के अनुसार नहीं किया गया। बंदरगाह ने विशेष अंतरालों पर टैरिफ के संशोधन से संबंधित दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन नहीं किया। 2010 में जारी नीति दिशा–निर्देशों ने भूमि प्रबंधन के कम्प्यूटराज़ेशन को प्रशासनिक सुधार उपायों मे से एक को प्रस्तावित किया परंतु बंदरगाह भूमि प्रबंधन प्रक्रिया के डिज़िटाइजेशन को लागू करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में पीछे रह रहे थे।

4-2- fl Qkfj 'kas

लेखापरीक्षा ने निष्पादन को सुधारने और इस रिपोर्ट में उजागर कमियों की शुद्धि के लिए मंत्रालय और बंदरगाहों द्वार विचार और कार्यान्वयन के लिए निम्नवत सिफारिशों की सलाह दी है।

1. एमपीटी अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के ध्यानार्थ प्रचलित दिशा–निर्देशों/नीतियों में बहुलता और दिशा–निर्देशों/नीतियों से बचने के लिए भूमि प्रबंधन से संबंधित सभी मुद्दों से निपटने के लिए विस्तृत नीति बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा दिशा–निर्देशों/नीतियों की समीक्षा की जानी चाहिए।

2. पिछली अवधि में किये गये आबंटन के संबंध में कस्टम बांड क्षेत्र के अंदर निर्मित स्थाई संरचनाओं के लिए जारी की गई 2014 नीति दिशा–निर्देश दोबारा देखे जा सकते हैं ताकि प्रस्तावित तंत्र में निहित बाधाऐं समाप्त हो जाये।

3. भूमि आबंटन और मिश्रित गतिविधियों के संबंध में सभी जटिल शब्दों और वाक्याशों को परिभाषित किया जा सकता है ताकि उन पर अलग अलग बंदरगाहों द्वारा असंगत उपचार से बचा जा सके।

4. ऐसे मामलों में जहां मंत्रालय द्वारा अनुमोदन आवश्यक था, में बंदरगाहों को कुछ विशेष शक्तियों के प्रत्यायोजन से अपेक्षित समय को कम करने हेतु प्रबंध किया जा सकता है।

5. मंत्रालय द्वारा अलग–अलग बंदरगाहों के भूमि प्रबंधन निर्णयों और गतिविधियों की कम से कम अर्धवार्षिक समीक्षा के लिए एक समीक्षा तंत्र बनाया जा सकता है जो की प्रचलन में नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में सहायता करेगा।

6. इसी प्रकार, संबंधित बोर्ड को भूमि नीति दिशा–निर्देशों के अनुपालन में भूमि प्रबंधन प्रक्रिया और प्रसंस्करणों की रिपोर्ट स्थिति की रिपोर्ट देने के उद्देश्य हेतु बंदरगाहों में एक संरचित तिमाही समीक्षा को आरंभ किया जा सकता है।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा की सिफारिशों का स्वागत किया और सिफारिश संख्या 2, जहां मंत्रालय की राय है कि विशेष दिशा–निर्देशों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कस्टम बांड क्षेत्र में स्थायी ढांचो के साथ भूमि नीति दिशा–निर्देश 2014 के अनुसार व्यवहार किया गया हैं, को छोड़कर उनको लागू करने के लिए सहमत हो गया है। किंतु लेखापरीक्षा का यह मत है कि प्रस्तावित प्रणाली में अंतनिर्हित बाधाएं है एवं मुकदमा एवं इसमें संबंधित कठिनाईयां हो सकती हैं।

ubZ fnYyh
fnukad % 29 tqykbZ] 2015

¼ih- lqthr eq[kthZ½
mi fu;=d&egkys[kkijh{kd ,oa
vè;{k] ys[kkijh{kk cksMZ

izfrgLrk{kfjr

ubZ fnYyh
fnukad % 30 tqykbZ] 2015

¼'kf'k dkUr 'kekZ½
Hkkjr ds fu;=d&egkys[kkijh{kd